



59

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना -2021 की समीक्षा
Master Plan Review-2021

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

ZONE - 'F'

“ओपन हाउस मीट्स”
“OPEN HOUSE MEETS”

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए
Form to be filled by Participant

नाम Name	Sat Bhushan Rana, MLA
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	MLA OFFICE OF THE DIR (FIG.) MPPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2 Dy.No. 2229 Dated 11/5
वर्तमान स्थिति Present Position	MLA
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	28061816 Mob. 9810089509
फैक्स : Fax :	
ई-मेल E-mail	Spoane@hotmail.com
पता : Address :	823 Bijwasika New delhi
हस्ताक्षर : Signature :	
तिथि : Date :	8/05/2012

“अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं
“Submit your registration form at the venue of Open House meets.”

सत प्रकाश राणा

विधायक, दिल्ली विधान सभा
बिजवासन क्षेत्र

SAT PRAKASH RANA

MLA, Delhi Assembly
Bijwasan Area



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
Govt. of National Capital Territory of Delhi
823, बिजवासन, नई दिल्ली-110061
823, Bijwasan, New Delhi-110061
Tel.: 011-28061816 Mob.: 9810089509
Website : www.satprakashrana.com
Email : sprana@hotmail.com

59

श्री ए.के. मन्ना जी,

मैं आपका ध्यान मेरे विधानसभा क्षेत्र बिजवासन के गाँव महिपालपुर की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान-2021 के संबंध में जो आपत्तियाँ/सुझाव आदि आमंत्रित किये जा रहे हैं, उसमें गाँव महिपालपुर के संदर्भ में मेरे जो आपत्तियाँ/सुझाव हैं, वे निम्न प्रकार से हैं :-

- वर्तमान में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जो मास्टर प्लान-2021 का प्रारूप तैयार किया गया है, उसमें गाँव महिपालपुर व इसके साथ लगती हुई सभी कॉलोनियाँ तथा गाँव रंगपुरी को सरकारी भूमि पर बसा हुआ दर्शाया गया है जबकि ये उपरोक्त दोनों गाँव सैकड़ों वर्षों पहले के बसे हुए हैं और इनके साथ लगती हुई कॉलोनियाँ इन दोनों गाँवों की ही भूमि पर बसाई गई हैं तथा इनको दिल्ली सरकार द्वारा जिन अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाना है, उस सूची में ये सभी कॉलोनियाँ दर्ज हैं। इसलिये इन दोनों गाँवों को मास्टर प्लान-2021 में दर्शाया जाये।
- गाँव महिपालपुर को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जा रहे मास्टर प्लान-2021 में जोन-एफ में दक्षिण दिल्ली में शहरीकृत गाँवों की सूची में नहीं डाला गया है जबकि दिल्ली सरकार द्वारा गाँव महिपालपुर को शहरीकृत गाँवों की सूची में डाला हुआ है। इसलिये गाँव महिपालपुर को मास्टर प्लान-2021 में शहरीकृत गाँवों की सूची में सम्मिलित किया जाये।
- गाँव महिपालपुर में महरौली-महिपालपुर मुख्य मार्ग को दिल्ली नगर निगम द्वारा व्यावसायिक श्रेणी के मार्गों की सूची में सम्मिलित किया हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यवश दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जा रहे मास्टर प्लान-2021 के एफ जोन की सूची में इस उपरोक्त मार्ग को दर्शाया ही नहीं गया है। अतः इस उपरोक्त मुख्य मार्ग को एफ जोन की सूची में सम्मिलित किया जाये।
- महरौली-महिपालपुर मुख्य मार्ग को 75 मीटर चौड़ा करने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन इस उपरोक्त मार्ग पर दोनों तरफ बड़ी संख्या में बड़ी-बड़ी इमारतें बनी हुई हैं और रिहायश आदि हेतु ग्रामवासियों ने मकानों आदि का निर्माण बड़े स्तर पर किया हुआ है। इसके साथ-साथ दिल्ली नगर निगम द्वारा भी इस उपरोक्त मार्ग को व्यावसायिक मार्गों की श्रेणी में दर्शाया हुआ है। इसके अतिरिक्त एन.एच. 8 से गाँव के बाहर से एक बाई पास का निर्माण भी दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इसलिये इस उपरोक्त मार्ग को चौड़ा करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः महरौली-महिपालपुर मुख्य मार्ग को चौड़ा करने की योजना को खारिज किया जाये।

5. गॉव महिपालपुर में ही एन.एच.8 से महरौली-महिपालपुर मार्ग तक एक बाई पास का निर्माण किया जा रहा है । इस उपरोक्त बाई पास पर वर्तमान में गॉव महिपालपुर से फिरनी रोड़ के रूप में एक कच्चा मार्ग बाई पास पर जा रहा है जिस पर गॉव महिपालपुर की काफी बड़ी आबादी निकास करती है लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस बाई पास से सटे हुए फिरनी मार्ग को बंद करने की योजना है जिससे गॉव महिपालपुर की बाई पास की तरफ निकासी बिल्कुल बंद हो जायेगी । मेरा इस संबंध में यह सुझाव है कि गॉव महिपालपुर के फिरनी रोड़ का निर्माण किया जाये और इसे बाई पास से मिलाया जाये ।

6. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जा रहे मास्टर प्लान-2021 के प्रारूप में गॉव महिपालपुर में एक मल्टी लेवल पार्किंग, खेल का मैदान, फायर स्टेशन, सामुदायिक भवन व हस्पताल के निर्माण के लिये भी प्रावधान किया जाये ।

7. गॉव महिपालपुर व गॉव रंगपुरी में एन.एच.8 पर काफी बड़ी संख्या में होटलों/गैस्ट हाउसों का निर्माण किया हुआ है जो कि इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को ध्यान में रखते हुए बनाये गये हैं । मेरा इस संबंध में यह सुझाव है कि इन सभी होटलों/गैस्ट हाउसों को भी नियमित करने का प्रावधान किया जाये ।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान-2021 के प्रारूप को तैयार करते हुए मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त सुझावों को भी सम्मिलित करने का कष्ट करें ।

धन्यवाद,

आपका

सत प्रकाश राणा

श्री ए.के.मन्ना जी,
निदेशक, योजना,
दिल्ली विकास प्राधिकरण, जोन एफ,
चतुर्थ तल, विकास मिनार,
नई दिल्ली